न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 198 / 2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 चन्द्राराम पुत्र तेजाराम (मृत)।
1/1 रघुनाथ दत्तक पुत्र चन्द्राराम जाति माली निवासी मालियों की ढ़ाणी बलरामपुरा तन कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
1/2 भंवरी पुत्री चन्द्राराम पत्नी भागीरथमल जाति माली निवासी उदादास की ढ़ाणी सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 मु0 गुलाब बेवा लिछमण।
3 जगदीश पुत्र लिछमण।
4 सूवालाल पुत्र लिछमण।
5 ओमप्रकाश पुत्र लिछमण समस्त जाति माली निवासीगण कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मंगलाराम पुत्र कालूराम।
2 बनवारीलाल पुत्र कालूराम।
3 रामलाल पुत्र कालूराम।
4 बंशीधर पुत्र कालूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5 गोपाल पुत्र कालूराम।
6 बृजमोहन पुत्र कालूराम समस्त जाति माली निवासीगण कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
7 नानी देवी पुत्री कालूराम पत्नी तुलछाराम निवासी रेटा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 डगली देवी पुत्री कालूराम पत्नी सीताराम निवासी मोड कोठी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर हाल आबाद चिड़िया टीबा टंकी के पास श्रीराम स्कूल वार्ड नं0 38 सीकर।
9 कंवरी देवी पत्नी नारायण जाति जाट निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 104 एवं आदेश 43 नियम 1(सी) सीपीसी विरूद्व आदेश श्री विवके कुमार अरोड़ा उपखण्ड अधिकारी सीकर प्रार्थना पत्र डनवानी संतरा विपरित मंगलाराम संख्या 9/06 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151सीपीसी दिनांकित 01.10.07 जिसके अनुसार अपीलांट/वादीगण का प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि.
सीकर

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री देवीदत अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2/2006 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में दावा संख्या 159/88 प्रस्तुत कर रखा था जो दिनाक 15.07.2002 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व प्रार्थी अपीलांट ने आदेश 9 नियम 9 सीपीसी एवं धारा 151सीपीसी का आवेदन दिनांक 03.03.2006 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद भू–प्रबंध के दौरान की गई गलत प्रविष्टियों को दुरूस्त करने का था उनके अधिवक्ता ने आश्वासन दे रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नही है 15.07.2002 को अपीलांट के

Lamo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अधिवक्ता उपस्थित नही हो सकें और यह दावा खारिज कर दिया 03.03. 2006 को बाजदायरी का आवेदन पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने आवेदन पर गौर नही कर आवेदन खारिज किया है। जो विधि विरूद्व है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1999 पेज 173, आर.आर.डी. 2003 पेज 481, डी.एन.जे. राजस्थान 2003 (3) पेज 1090 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि बाजदायरी आवेदन 4 साल विलम्ब से पेश किया गया है दिन प्रतिदिन अनुसार देरी का कारण अंकित नही किया गया है स्वयं के अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल सैनी का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथनों की सत्यता प्रमाणित नही होती है विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी का आवेदन 4 साल बाद प्रस्तुत किया गया। अपने आवेदन के कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा केवल मात्र स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर एक ही कारण अंकित किया है कि उनके अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल सैनी ने उन्हे प्रत्येक पेशी पर आने से इन्कार कर रखा था इसके अतिरिक्त अन्य कोई कथन अपीलांट द्वारा नही किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम तो अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट ने अपने अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल सैनी का शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है द्वितीय यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नही है कि अपीलांट द्वारा सन 2002 से 2006 तक अपने वाद की कोई जानकारी ही नही ली गई हो एवं उनके अधिवक्ता द्वारा वाद खारिज होने की सूचना उन्हे 4 साल तक नही दी गई है। विचारण न्यायालय ने इन्ही तथ्यों पर विस्तृत विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट ने विधि अनुसार दिन प्रतिदिन की देरी का विस्तृत कारण एवं अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है एवं उसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर